

1. ऐसा अवकाश उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक शारीरिक असमर्थता घटना के तीन माह की अवधि में प्रविष्ट नहीं हो जाए तथा राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाया जाए।
2. ऐसे अवकाश के लिए चिकित्सा मण्डल की सिफारिश आवश्यक है।
3. एक असमर्थता/बीमारी के लिए एक बार से अधिक विशेष असमर्थता अवकाश दिया जा सकता है, किन्तु उसकी कुल अवधि 24 माह से अधिक नहीं होनी होगी।
4. च.श्रे.क. के संबंध में 60 दिन का अवकाश पूरे वेतन पर तथा बाद के अवकाश अर्द्ध वेतन के आधार पर दिए जा सकते हैं।

अस्पताल अवकाश –

सक्षम अधिकारी एक ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अथवा लिपिक वर्गीय अथवा अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी को चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत कर सकता है। जिसका कार्य एवं उत्तरदायित्व विषम संयंत्रों, विस्फोटक सामग्री, विषैली औषधियों, रसायनों को हाथ से पकड़ने का हो तथा उसके कारण प्रत्यक्ष जोखिम हो।

अस्पताल अवकाश प्राधिकृत चिकित्सा के प्रमाण-पत्र तथा उसकी सिफारिश के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, तथा ऐसी अवधि में सक्षम अधिकारी से विवेक पर पूर्ण वेतन दिया जाता है।

चिकित्सालय अवकाश के साथ अन्य प्रकार का अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। क्योंकि इसे एक पृथक श्रेणी में विशिष्ट माना गया है।

(नियम 106 व 108)

प्रसूति अवकाश –

- ◆ एक सक्षम अधिकारी, एक महिला राज्य कर्मचारी को कुल सेवाकाल में अधिकतम दो बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत कर सकता है। यदि दो बार प्रसूति अवकाशों के उपरान्त भी कोई जीवित संतान नहीं हो तो ऐसा अधिकारी एक बार और अर्थात् तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत कर सकता है।
- ◆ ऐसा अवकाश एक बार में 135 दिन तक स्वीकार किया जा सकता है। गर्भपात मामले में 6 सप्ताह का अवकाश देय है।
- ◆ दोनों ही मामलों में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
- ◆ ऐसे अवकाशों का उपभोग विश्रामकाल के साथ भी किया जा सकता है, तथा पूरा वेतन देय होता है।

पितृत्व अवकाश (नियम 103 'ए') –

सक्षम प्राधिकारी एक पुरुष सरकार कर्मचारी को दो से कम जीवित संतान होने पर अपनी संपूर्ण सेवा अवधि में पत्नी के प्रसव के दौरान (क्वन्तपदह ब्दपिदमउमदज वर्णपे पूमि) देखभाल करने हेतु 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करेगा। यह अवकाश बच्चे के जन्म के तीन माह पश्चात् की अवधि के मध्य ही लिया जा सकता है, जो उसकी संपूर्ण अवधि में दो बार स्वीकृत किया जावेगा। इस अवकाश की निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं करने पर लेप्स हो जाएगा। इस अवकाश को अवकाश लेखों में शामिल नहीं किया जावेगा, लेकिन सेवा पुस्तिका में इसका इन्द्राज किया जावेगा। इस अवकाश का उपभोग अन्य किसी भी अवकाश के साथ किया जा सकता है। गर्भपात या मिसकैरेज के मामले में यह अवकाश स्वीकृत नहीं होता।

(एफ-1(43)वित्त/ग्रुप-2/83 दिनांक 6.12.2004)



अध्ययन अवकाश –

राजस्थान सेवा नियम 110 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार –

Breastfeeding Breaks

9. Recommendations contained in the Government's policy statement on breastfeeding, 'Breastfeeding in Ireland' A Five-Year Strategic Action Plan, published in October 2005 by the Department of Health and Children state that mothers should continue to breastfeed their children up to the age of two years, to maximise the potential health benefits for themselves and their children. This is in accordance with the guidelines issued by the World Health Organisation.

In line with Government policy on this issue it is proposed that entitlement to breastfeeding or 'lactation' breaks for Civil Servants be extended to when the child who is being breastfed reaches the age of 2. Therefore a mother who is breastfeeding

her child/children is entitled to, without loss of pay until the child is 2 years of age, either an adjustment of working hours or where breastfeeding facilities are provided by the employer, breastfeeding breaks. Where such facilities are provided, breaks may be taken in the form of one break of 60 minutes, two breaks of 30 minutes each, three breaks of 20 minutes each, or in such other manner as to number and duration of breaks as may be agreed by her and her employer.

An employee who is breastfeeding is entitled, if preferred, to the option outlined above and without loss of pay, to have her working hours reduced by 1 hour each day. That reduction may comprise one period of 60 minutes, two periods of 30 minutes, 3 periods of 20 minutes each or such other periods as may be agreed by her and her employer.

Time off from work or a reduction in working hours should be calculated on a *pro rata* basis for worksharing staff. Employees who wish to exercise this entitlement in either the form of breastfeeding breaks or reduced hours must notify her employer in writing of her intention to do so and should furnish, if so requested by her employer, the birth certificate of the child concerned.

Leave for father after the birth of a child

10. Section 10 of the Maternity Protection (Amendment) Act 2004 amends Section 16 of the Principal Act by the substitution of a new subsection for subsection (1). This section deals with the entitlement of an employed father to leave on the death of the mother. Under certain circumstances, if the mother of the child dies during a specific period of time following of her confinement, the father of the child may be entitled to leave. The conditions governing such leave with effect from 1st March 2006 and 1st March 2007 are as outlined below:

With effect from **1st March 2006** if a woman who has been delivered of a living child (in this section referred to as 'the mother') dies at any time before the expiry of the

Protection of employment rights on additional maternity leave

The Maternity Protection (Amendment) Act 2004 extended further the protection of employment rights while on additional maternity leave with the effect that additional maternity leave counted for all employment rights associated with the employment (with the exception of remuneration and superannuation benefits) such as seniority, annual leave and public holidays. This change came into effect in respect of additional maternity leave commencing on or after 18th October 2004 as well as to staff already on additional maternity leave on that date.

Employees may seek to have additional maternity leave terminated in the event of illness (and go on to sick leave) provided that the employer agrees to such an arrangement. It should be noted that, where an employee applies to terminate the additional maternity leave and go on to sick leave with the employer's agreement, the balance of untaken additional maternity leave is forfeit.

Postponement of maternity leave

5. Employees may postpone the period of maternity leave/additional maternity leave (subject to the agreement of the employer) in the event of the hospitalisation of the child. Such leave may only be postponed after 14 weeks maternity leave has been taken and the maximum period of postponement of such leave is 6 months. If so requested by the employer, the employee must furnish a document from the hospital in which the child is hospitalised confirming the hospitalisation and a letter must issue from the hospital confirming the date of the child's discharge from hospital.

Attendance at ante-natal and post-natal clinics and ante-natal classes

6. Section 8 of the Maternity Protection (Amendment) Act provides for an amendment to Section 15 of the Maternity Protection Act regarding the entitlement to time off from work to attend ante-natal classes. Pregnant employees shall be entitled to such time off from work, without loss of pay, as is necessary for the purpose of attending one set of ante-natal classes (other than the last three in such a set) and those classes may be attended by her during one or more pregnancy. Entitlement to time off from work shall be subject to the woman notifying her employer of the dates and times of such classes. Documentary evidence should be provided of the dates and times of classes if requested by the woman's employer.

Attendance at post-natal classes is covered only during the fourteen weeks immediately following confinement. The conditions governing such absence are laid down by regulation issued by the Minister for Equality and Law Reform (S.I. No. 18 of 1995).

Section 8 of the Maternity Protection (Amendment) Act 2004 provides for a once-off right for fathers to paid time off from duty to attend the two ante-natal classes immediately prior to the birth. An expectant father shall be entitled once only to time off from his work, without loss of pay, for the purpose of attending the last two ante-natal classes in a set of such classes attended by the expectant mother before the birth

13 October 2006

Ref No: E109/18/06

Circular 31/06:

**Implementation of the Regulations of the
Maternity Protection (Amendment) Act 2004**

A Dhuine Uasail,

Maternity Protection

1. I am directed by the Minister for Finance to refer to the Maternity Protection (Amendment) Act 2004 and to say that the arrangements applying to civil servants in relation to maternity leave are, in general, as specified in that Act and the earlier Maternity Protection Act 1994. This Circular provides a summary of the main provisions of the Maternity Protection Act 1994 and the Maternity Protection (Amendment) Act 2004 and the relevant Regulations as they apply to civil servants. It is not intended as a legal interpretation of the various Acts, and Departments should acquaint themselves with the legal provisions of the appropriate legislation.

General

2. The Maternity Protection (Amendment) Act 2004, other than section 24, came into effect on 18 October, 2004. (Section 24 refers to the Redundancy Payments Act).

The Maternity Protection (Amendment) Act 2004 (**the Act**) and its related Statutory Instruments (listed below) amend and extend the Maternity Protection Act 1994 (**the Principal Act**):

S.I. No. 652 of 2004 Maternity Protection (Amendment) Act 2004 (Commencement) Order 2004

S.I. No. 653 of 2004 Maternity Protection (Time off for Ante-Natal Classes) Regulations 2004

S.I. No. 654 of 2004 Maternity Protection (Protection of Mothers who are Breastfeeding) Regulations 2004

S.I. No. 655 of 2004 Maternity Protection (Postponement of Leave) Regulations 2004



(F) Breastfeeding breaks

A mother who is breastfeeding her child is entitled, without loss of pay, to either:

- 1) one hour off from work each day as a breastfeeding break, where breastfeeding facilities are provided by the employer, or
- 2) a reduction of her working hours of one hour each day,

until that child is 2 years old. Time off from work or a reduction in working hours should be calculated on a *pro rata* basis for worksharing staff.

Requests to avail of breastfeeding breaks or a reduction of hours must be notified in writing at the time of the notification of the date of return to work and should be accompanied by the birth certificate of the child concerned.

Employers are not required to provide facilities for breastfeeding in the workplace, the provision of such facilities would give rise to a cost, other than a nominal cost, to the employer.

Pending a decision on the provision of such facilities generally, Departments and Offices are requested to offer a reduction of working hours, where breastfeeding facilities are not already available. Where staff have already returned to work requests should also be accommodated.

(G) Leave Entitlements

Maternity Leave

Maternity Leave commencing on or before 28 th February 2006	18 weeks
Maternity Leave commencing on or after 1 st March 2006	22 weeks
Maternity Leave commencing on or after 1 st March 2007	26 weeks

Additional Maternity Leave

Additional Maternity Leave commencing on or before 28 th February 2006	8 weeks
Additional Maternity Leave commencing on or after 1 st March 2006	12 weeks
Additional Maternity Leave commencing on or after 1 st March 2007	16 weeks

Resolution of disputes

Any dispute in relation to entitlements under the Act may be referred to the parent Department in the first instance, who may in turn refer the matter to this Department. In addition, the Act provides for referral of a dispute in relation to entitlements and

Payment while on Maternity Leave

7. Subject to paragraph 8 below, a woman on maternity leave is entitled to full pay, except where she has been appointed for a fixed term of less than 26 weeks. A woman who has been appointed for a fixed term of less than 26 weeks is entitled to the same rate of pay that she would receive if she were absent on sick leave; as the entitlement to payment (if any) may vary according to the length of continuous service given, it would be advisable to check with the Personnel Section with regard to entitlements.

8. A woman who is (or was) fully insured under the Social Welfare Acts and who fulfils certain contribution conditions may be entitled to maternity benefit from the Department of Social and Family Affairs. Information about this allowance is available from Personnel Units in Departments/Offices. A woman on maternity leave who is entitled to maternity benefit from the Department of Social and Family Affairs, is entitled to payment by her Department on the basis provided for in paragraph 7 above or of an amount equivalent to the full rate of benefit to which she is entitled, whichever is the greater, provided she:

- a) signs a mandate authorising the Department of Social and Family Affairs to pay any benefit due to her under the social insurance system directly to her employing Department;
- b) makes the necessary claims for social insurance benefit to the Department of Social and Family Affairs within the required time limits and complies with whatever requirements are laid down by that Department as a condition of claiming benefit.

Maternity leave must not be treated as part of any other leave (including sick or annual leave) to which the employee is entitled. Therefore, a woman who has gone onto sick leave at half pay or unpaid sick leave immediately prior to going on maternity leave will resume full pay upon commencement of maternity leave subject to the terms of paragraphs 7-8 above.

Similarly, a woman working full-time but taking parental leave who subsequently goes on maternity leave will be paid at a full-time rate while on maternity leave.

Breastfeeding Breaks

9. Recommendations contained in the Government's policy statement on breastfeeding, 'Breastfeeding in Ireland' A Five-Year Strategic Action Plan, published in October 2005 by the Department of Health and Children state that mothers should continue to breastfeed their children up to the age of two years, to maximise the potential health benefits for themselves and their children. This is in accordance with the guidelines issued by the World Health Organisation.

In line with Government policy on this issue it is proposed that entitlement to breastfeeding or 'lactation' breaks for Civil Servants be extended to when the child who is being breastfed reaches the age of 2. Therefore a mother who is breastfeeding

7. क्षतिपूर्ति अवकाश—
जब किसी लिपिक वर्गीय तथा च.श्रे.क. स्टॉफ को राजपत्रित अवकाशों के दिन अनिवार्य रूप से कार्यालय में बुलाया जाता तो उसे उतने दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत किया जायेगा जो उसी वर्ष में उपयोग किया जा सकेगा।

प्रोबेशनर ट्रेनी के संबंध में नियम—

1. 20.01.2006 के बाद राज्य सेवा में दो वर्ष के लिए प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति मिलेगी तथा फिक्स वेतन देय होगा। इस अवधि में उसे महंगाई भत्ता, विशेष वेतन, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता, ग्रामीण क्षेत्र भत्ता, मैस भत्ता, ड्रेस भत्ता व धुलाई भत्ता आदि नहीं मिलेगा। उसे इस अवधि में एडहॉक बोनस भी देय नहीं होगा।
2. उसे यात्रा भत्ता भी नहीं मिलेगा। राजकीय कार्य से यात्रा करने पर उसे T.A. on Tour मिलेगा। स्थानान्तरण पर उसे मीलभत्ता व इन्सीडेन्टल प्रभार (फिक्स वेतन के अनुसार) मिलेगा।
3. उसके पारिश्रमिक से राज्य बीमा व जी.पी. एफ. की कोई कटौती नहीं होगी।
4. उसे किसी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता भी नहीं मिलेगा।
5. एक कलैण्डर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अगर वर्ष के मध्य में नियुक्ति होती है तो पूर्ण किये गये महीनों के सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से मिलेगी।
6. प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में की गई सेवा अवधि (02 वर्ष) में 30 दिन से अधिक का असाधारण अवकाश लेने पर प्रोबेशनर काल में उतनी ही वृद्धि हो जायेगी जितने दिन का असाधारण अवकाश 30 दिन से अधिक लिया गया है। इससे कम अवधि के असाधारण अवकाश के कारण परीक्षा काल में कोई वृद्धि नहीं होगी।
7. प्रोबेशनर ट्रेनी को राजकीय आवास आवंटित हो सकते हैं।
8. प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में सेवा सन्तोषजनक न होने पर सेवा समाप्त या प्रोबेशनर अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
9. प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि नियमित नियुक्ति हेतु मानी जायेगी।
10. पुरुष प्रोबेशनर ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देय होगा तथा महिला प्रोबेशनर ट्रेनी को भी 180 दिन का प्रसूति अवकाश देय होगा।
11. शैक्षिक कार्य हेतु प्रोबेशनर ट्रेनी को विशिष्ट आ0अव0 देय होंगे।
12. प्रोबेशनर ट्रेनी को निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता मिलेगा।
13. प्रोबेशनर ट्रेनी को उच्च अध्ययन की स्वीकृति देय नहीं है।
14. प्रोबेशनर ट्रेनी को क्षतिपूर्ति अवकाश देय होंगे।

जिलाध्यक्ष
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

लेखा स्तम्भ

प्रसूति एवं पितृत्व अवकाश

□ सुभाष माचरा

1. प्रसूति अवकाश:- (Maternity Leave) :- एक महिला सरकारी कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार तथा जीवित बच्चा न हो, तो तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन की अवधि तक पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाएगा। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-F.1(43)FD/(Gr.2)/83 (RSR 14/08), Dated: 11-10-08 द्वारा प्रसूति अवकाश हेतु देय सम्प्राप्ति 135 दिवस से बढ़ाकर 180 दिवस की गई।

टिप्पणी: उपर्युक्त नियम-103 के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश निम्नलिखित शर्तों पर गर्भपात (Abortion) या गर्भ-छाव (Miscarriage) के मामले में भी स्वीकृत किया जा सकता है :-

- अवकाश 6 सप्ताह से अधिक का नहीं हो।
- अवकाश प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।

राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक : प.5 (34) प्रावि/2010, दिनांक: 9.8.10 (वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या: 101002622, दिनांक 30.07.2010 द्वारा प्रदत्त) स्वीकृति के अनुसरण में प्रदत्त द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-103 के नोट में अंकितानुसार एक महिला राज्य कर्मचारी की गर्भपात या गर्भछाव की स्थिति में दिये 6 सप्ताह का प्रसूति अवकाश नियम-103 में अंकित शर्तों के अध्याधीन अतिरिक्त रूप से देय है।

निर्णय संख्या 81 :- इस नियम के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश अम्माई महिला कर्मचारी को भी मिलेगा। वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक : F.1(6)FD(Rules)/ 2007 (RSR-15/09), Dated : 19-6-09 द्वारा सविदा आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों,

जिनकी नियुक्ति वित्त विभाग के अनुमोदनेपरान्त हुई हो, को भी प्रसूति अवकाश का पूर्ण लाभ प्रदान किया गया है।

इसी प्रकार 'राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम-1993' के अध्याय-6 में गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वर्णित विभिन्न प्रकार की अवकाश सुविधाओं के अन्तर्गत नियम-52 के तहत संस्था की महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का पूर्ण लाभ देय है।

निर्णय संख्या 82:- प्रसूति अवकाश अर्धगर्भपात के मामले में नहीं मिलेगा।

स्पष्टीकरण :- गर्भपात (Abortion) शब्द से गर्भपात की आशंका (Threatened Abortion) सम्मिलित नहीं माना जाएगा। फलस्वरूप शंका वाले गर्भपात में प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave):- 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-103 'ए' के तहत एक पुरुष राज्य कर्मचारी को, जिसके 2 से कम जीवित सन्तान हो, अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि में पत्नी की गर्भावस्था/प्रसव के दौरान एवं बाद में (During Confinement of his wife) देखभाल करने हेतु अर्धांश प्रसव से 15 दिवस

पूर्व एवं प्रसव के तीन माह के भीतर 15 दिवस का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) देय होगा। यह अवकाश उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम दो बार स्वीकृत किया जा सकता है। इस अवकाश का निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं करने पर लेप्त हो जायेगा। उक्त अवकाश गर्भपात या गर्भछाव में देय नहीं है।

3. दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave):- 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-103 'बी' के तहत दो से कम जीवित संतान होने पर एक महिला राज्य कर्मचारी के एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैधानिक रूप से दत्तक ग्रहण करने की दिनांक से 180 दिवस की अवधि का दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

4. अवकाश काल में देय वेतन:- उपर्युक्त वर्णित समस्त अवकाशों (प्रसूति/पितृत्व/गर्भपात/गर्भछाव/दत्तक ग्रहण अवकाश) में कर्मचारी को अवकाश काल में सेवा नियम-97(1) के अनुसार अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व आहूत वेतन के समान अवकाश हेतु स्वीकृत अवधि का पूर्ण वेतन देय होगा।

5. अवकाश की प्रविष्टि:- उपर्युक्त वर्णित समस्त अवकाशों (प्रसूति/पितृत्व/गर्भपात/गर्भछाव/दत्तक ग्रहण अवकाश) को कर्मचारी के सेवाभिलेख में अवकाश खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा, परन्तु सेवा पुस्तिका में यूयक् से इन्द्राज किया जाएगा।

6. अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ देयता :- वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ.1(5)वित्त/नियम/96, दिनांक:- 26.2.02 के अनुसार प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी (आकस्मिक अवकाश के अलावा) लिया जा सकता है।

शैक्षिक प्रबोध अधिकारी (पा.)
माध्यमिक शिक्षा राजस्व, बीकानेर
मो. 9414006470



अन्यथा रूप से स्वीकृत की जा सकती हो, पूर्ण वेतन देय होगा। अवकाश का आधा समय उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में नाम लिखा जावेगा। (नियम 99)

असमर्थता के कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृत होने पर अवकाश वेतन में से क्षतिपूर्ति की राशि कम कर भुगतान की जावेगी।

(नियम 100)

9. प्रसूति अवकाश - एक महिला सरकारी कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार तथा जीवित बच्चा न हो तो तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन की अवधि तक पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जावेगा।

गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह का अवकाश प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

(नियम 103)

प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकता है। (एफ.1(5)वित्त/नियम/96 दि. 26.2.02)

नोट - यह अवकाश महिला सरकारी कर्मचारी को दो जीवित बच्चों से कम होने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

(प.1(43)वित्त/गुप-2/83 दि. 14.7.2006)

10. पितृत्व अवकाश - सक्षम प्राधिकारी एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को दो से कम जीवित सन्तान होने पर अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि में पत्नी की गर्भावस्था/प्रसव के दौरान एवं बाद में (During Confinement of his wife) देखभाल करने हेतु अर्थात् प्रसव से 15 दिवस पूर्व एवं प्रसव के तीन माह के भीतर 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करेगा जो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार स्वीकृत किया जायेगा। इस अवकाश का निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं करने पर लेप्स हो जायेगा। इस अवकाश को अवकाश लेखों में शामिल नहीं किया जायेगा लेकिन सेवा पुस्तिका में इसका इन्द्राज किया जायेगा। इस अवकाश का उपभोग अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ किया जा सकता है। गर्भपात या मिसकैरेज के मामले में यह अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।

(एफ. 1(43)वित्त/गुप-2/83 दि. 6.12.2004) (नियम 130ए)

11. दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) :

दो से कम जीवित संतान होने पर एक महिला राज्य कर्मचारी को एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे की वैध दत्तकग्रहण करने की दिनांक से 180 दिवस की अवधि का दत्तकग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। इस अवकाश की अवधि में सरकारी कर्मचारी को उसके अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व आहरित वेतन के समान वेतन का भुगतान किया जायेगा। दत्तकग्रहण अवकाश को कर्मचारी के अवकाश खाते में नहीं लिखा जाएगा।

(एफ.1(43)/वित्त(गुप-2)/83 दि. 7.12.2011) (नियम 103 बी)

12. अध्ययन अवकाश (Study Leave) :

(i) एक स्थाई राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के अनुसंधान

करने, जो स्वीकृतकर्ता-प्राधिकारी की सम्मति में विभागीय कर्मचारी जिसमें वह नियोजित है, के हित में आवश्यक समझा जाता है, अनुज्ञेय होगा।

राज्य कर्मचारी को अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम हेतु ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत करना चाहिये जो कि उसके (राज्य कर्मचारी के) वर्तमान पद के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ हो एवं ऐसे पाठ्यक्रम अध्ययन से विभागीय कार्य निस्तारण में कर्मचारी को निपुणता प्राप्त होती है। अन्य किसी स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये।

(एफ.1(3)वित्त/नियम/2002 दि. 20.7.2004)

20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को अवकाश देय नहीं होगा।

(ii) अस्थाई कर्मचारी के तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर यह अवकाश देय होगा यदि नियुक्ति राज. लोक सेवा आयोग की सहमति या सक्षम आदेशों के तहत हुई है। अन्यथा नियुक्ति शिथिलता प्रदान कर 2 वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(iii) अध्ययन अवकाश एक बार में 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा पूर्ण सेवाकाल में 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जावेगा। (नियम 111)

परन्तु चिकित्सा अधिकारियों को पीजी करने के लिये 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

(एफ 1 (3) वित्त/नियम/2002 दिनांक 31.5.2011)

अध्ययन अवकाश का उपभोग अन्य प्रकार के अवकाश (असाधारण अवकाश को छोड़कर) के साथ किया जावे तो राज्य कर्मचारी की नियमित कर्तव्यों से अनुपस्थिति 28 माह से अधिक की स्वीकृत नहीं की जावेगी। (नियम 112)

अध्ययन अवकाश में वेतन - अध्ययन अवकाश की अवधि में एक कर्मचारी को अर्द्ध-वेतन के समान अवकाश वेतन देय होगा।

पदोन्नति एवं पेंशन के लिये गणना - अध्ययन अवकाश पदोन्नति अथवा पेंशन के लिए सेवा अवधि के रूप में समानित जावेगा तथा इसका प्रभाव कर्मचारी के नाम अवशेष किसी अवकाश पर नहीं पड़ेगा। यह अर्द्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश के रूप में गिना जावेगा। (नियम 113)

13. आकस्मिक अवकाश - आकस्मिक अवकाश राज्य कर्मचारी के राजस्थान सेवा नियम में अवकाश की श्रेणी में नहीं माना गया है क्योंकि आकस्मिक अवकाश के दौरान कर्मचारी 'कर्तव्य' से आहरित करता है। राज्य कर्मचारी एवं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य-कलापों आदि में भाग लेने हेतु राज्य कर्मचारी ने आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया है। एक कलैण्डर वर्ष में कर्मचारी को अधिकतम 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, जो एक बार में 10 दिन तक सीमित होगा। विश्रामकाल विभाग (स्कूल, कॉलेज आदि) में वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक समाप्त माना जायेगा।

पुलिस विभाग की सबॉडिनेट सर्विस के सिपाही, हैड कॉन्स्टेबल

अजमेर - पीएचडी करने वाली महिलाओं को 240 दिन का मातृत्व अवकाश

पीएचडी करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उनको एमफिल और पीएचडी करने के दौरान अधिक अवकाश दिया जाएगा। अब उनको 240 दिनों का प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। अभी तक उनको 180 दिनों का अवकाश दिया जाता था। इसी प्रकार 40 प्रतिशत से अधिक निशक्त महिला को एमफिल के पेपर क्लियर करने के लिए 1 अतिरिक्त साल और पीएचडी थिसिस सबमिट करवाने के लिए 2 साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

प्रारूप-01

**प्रसूति कालीन अवकाश/बाल्याकाल देखभाल अवकाश
का आवेदन प्रपत्र**

- 1- आवेदिका का नाम _____
- 2- पदनाम _____
- 3- कार्यरत विद्यालय का नाम _____
- 4- विकासक्षेत्र _____
- 5- जन्मतिथि _____
- 6- सेवा में आने की तिथि _____
- 7- वेतन _____
- 8- अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक अपेक्षित _____
- 9- अवकाश मांगे जाने का कारण (अभिलेखीय साक्ष्यों सहित) _____
- 10- अवकाश की अवधि में पता _____
टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० _____
- 11- पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक लिया गया तथा उसकी प्रकृति _____

आवेदिका का
पासपोर्ट साइज
फोटो रय
प्रमाणित ।

आवेदिका के हस्ताक्षर
पदनाम व दिनांक सहित ।

प्रधानाध्यापक की अभ्युक्ति/संस्तुति
हस्ताक्षर पदनाम व दिनांक सहित ।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी
की अभ्युक्ति/ संस्तुति—

प्रमाणित किया जाता है कि संगतशासनादेश की शर्तों के अनुरूप दिनांक _____
से _____तक आवेदित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय तथा अनुमन्य है तथा महिला कर्मों
की सेवा पुस्तिका मय अवकाश लेखा संलग्न कर अग्रसारित है ।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/
नगर शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर पदनाम दिनांक सहित ।

उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/
हस्ताक्षर पदनाम दिनांक सहित ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रयोगार्थ

उपयुक्त संस्तुति के आधार पर कार्यालय आदेश संख्या _____ दिनांक _____
द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए सेवा पुस्तिका के अवकाश लेखे के पृष्ठ संख्या _____ में इस कार्यालय
द्वारा अंकन कर हस्ताक्षर कर दिया गया है एवं स्वीकृति संबंधी कार्यालय आदेश की प्रतियाँ
विद्यालय/सहायक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/संबंधित आवेदिका तथा वित्त एवं
लेखाधिकारी को पृष्ठांकित कर प्रेषित कर दी गयी है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर) दिनांक सहित ।

टर्म I
से 20/07/16 तक

er text based
nd of chapter.

समीक्षा एवं अनुभव
(बच्चों की सहभागिता/कठिनाई एवं
योजना में बदलाव के बारे में)

साप्ताहिक
01/07/16 से 14/07/16 तक

समूह 1 के लिए क्षमता संवर्धन योजना -

- * Some meanings will be given to the students to be learnt and increase their diction.
- * To write the plural forms of the nouns.
as - foot - feet, night - nights
etc.

समूह 2 के लिए शिक्षण उद्देश्य -

- To be able to join simple sentence using "and"
- To be able to learn day to day conversation in English.
- To be able to prepare a chart on the given topic.

समूह 2 के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण योजना (सामूहिक, उपसमूह, व्यक्तिगत) -

Group - Other related poems will be read and taught.
and students will follow the teacher in
reciting the poem.

Sub group - Activity - D. Two words connect two
words with 'And' As - day and night, the sun
and the moon, father and mother. etc.

Individual - How many times the word "and"
has come in the poem.

पाक्षिक योजना में अधिगम उपलब्धि -

Students have learnt correct pronunciation
meanings and writings

हस्ताक्षर शिक्षक

पाक्षिक
01/07/16 से 20/07/16 तक

The students
have learnt
the main ideas
and understood
the main impor-
tance of prayer.

संस्था प्रधान का अभिमत :-

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

लेखा स्तम्भ

कार्मिकों से सम्बन्धित अवकाश

अ **वकाश :** 'अवकाश' शब्द में उपार्जित अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश, रूपान्तरित अवकाश, विशेष अयोग्यता अवकाश, अध्ययन अवकाश, प्रसूति अवकाश, अस्पताल अवकाश, अर्द्ध अवकाश एवं असाधारण अवकाश सम्मिलित हैं। आकस्मिक अवकाश, अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है।

राजस्थान सेवा नियम (पार्ट-1) के नियम 57 के अनुसार अवकाश केवल कर्तव्य सम्पादन (By Duty) द्वारा ही अर्जित होते हैं तथा अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी जनहित/राजकीय हित में अधिकारी/कर्मचारी के आवेदित अवकाश को अस्वीकृत भी कर सकता है। (आर.एस.आर. नियम 59) राजस्थान सेवा नियम (पार्ट-1) के नियम 59 के प्रावधानानुसार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश की प्रकृति बदलने का अधिकार मात्र अधिकारी/कर्मचारी को ही है। स्वीकृत कर्ता अधिकारी आवेदित अवकाश की प्रकृति बदलने में सक्षम अधिकारी नहीं है। आवेदित अवकाश की प्रकृति बदलने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि के तीन माह में आवेदन करना अनिवार्य है। आकस्मिक अवकाश चूँकि अवकाश की श्रेणी में ही नहीं आता है अतः आकस्मिक अवकाश की प्रकृति बदलने का प्रावधान नहीं है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 63 के अनुसार सार्वजनिक अवकाश स्वीकृति अवकाशों से पूर्व (Pre-Fixed) पड़ता हो तो अवकाश एवं वेतन-भत्तों की व्यवस्था सार्वजनिक अवकाश के बाद प्रारम्भ होगी तथा सार्वजनिक अवकाश स्वीकृति अवकाशों की समाप्ति के पश्चात पड़ता हो तो वेतन भत्तों का भुगतान उस दिन तक लागू होगा, जिस दिन तक अवकाश समाप्त हो जाते हैं। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 67 के अनुसार आवेदन पत्र उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसे

मूल अवकाश व उसकी वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार हो। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23(1) के अनुसार एक समय में अधिकारी/कर्मचारी को अधिकतम 5 वर्ष से अधिक अवधि का अवकाश निरन्तर रूप में स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

विशिष्ट श्रेणी के अवकाश :

पितृत्व अवकाश : R.S.R. के नियम 103(A) के अनुसार दो से कम उत्तर जीवी संतानों वाले किसी पुरुष सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को उसकी पत्नी की प्रसवावस्था के दौरान, अर्थात् बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से बच्चा पैदा होने के तीन माह तक उक्त अवकाश देय होगा। अवकाश की अवधि 15 दिवस अधिकतम होगी तथा मात्र 2 संतानों पर ही देय होगा।

बच्चा गोद लेने पर देय अवकाश : R.S.R. के नियम 103(बी) के अनुसार एक महिला कार्मिक जिसके 2 से कम संतान हो उस महिला कर्मचारी/अधिकारी द्वारा विधि-पूर्ण तरीके से बच्चा गोद लेने की स्थिति में उक्त अवकाश देय होगा। अवकाश अवधि अधिकतम 180 दिवस की स्वीकृत होगी। गोद लिये गये बच्चे की आयु 1 वर्ष से कम होनी चाहिये तथा देय अवकाश गोद लेने की दिनांक से 180 की अवधि का देय होगा। उक्त अवकाश के साथ अन्य श्रेणी का अवकाश लिया जा सकता है। अवकाश अवधि में वेतन अवकाश से प्रस्थान करने से पूर्व की दरों पर ही देय होगा। उक्त अवकाश की प्रविष्टि अवकाश लेखे में नहीं की जाकर, सेवा पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

निरोधावकाश : एक राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में अछूत का रोग लग जाने के फलस्वरूप कार्यालय में नहीं आने के आदेश, अपेक्षित कार्य से अनुपस्थित रहने के लिये 21 दिन या विशेष परिस्थिति में 30 दिन तक का निरोधावकाश देय है। (आर.एस.आर. अनुसूची 'ख' भाग- vi)

(4) राज्य कर्मचारियों के परिवार जनों

को स्वाइन फ्लू होने पर 7 दिवस का निरोधावकाश देय होगा। (राज्य सरकार के आदेश क्रमांक R.S.R. दिनांक 15.10.2012)

(5) ऐच्छिक अवकाश को आकस्मिक अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है। आदेश क्रमांक: एफ1(49)एफडी/ (जी.आर.-2) 82 दिनांक 15.09.1990

(6) **प्रसूति अवकाश :** एक महिला सरकारी कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार तथा जीवित बच्चा न हो तो तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रारम्भ तिथि से 180 दिन की अवधि तक पूर्ण वेतन-भत्तों पर स्वीकृत किया जावेगा। प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकता है। प्रसूति अवकाश महिला कर्मचारी को दो जीवित संतानों से कम संतान होने पर ही स्वीकृत होगा।

महिला कर्मचारी के 2 से कम संतान होने की स्थिति में गर्भपात (abortion) तथा गर्भस्त्राव (Mis carriage) की स्थिति में 6 सप्ताह तक की अवधि का अतिरिक्त प्रसूति अवकाश भी देय स्वीकृत होगा। अवकाश प्रार्थना-पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त स्वीकृत अवकाश प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त देय होगा। (वित्त विभाग की आई.डी. 101002622 दिनांक 30.07.2010 आदेश क्रमांक: एफ-5 (34(एफडी)2010/9.8 2009)।

(7) **प्रसूति अवकाश:** अनुबन्धित/ट्रेनी महिला कर्मचारी को भी नियमानुसार 180 दिन का देय होगा (F-1 (16) FD/Rules-2007/RSR-15/09/ दिनांक 18.06.09)

(8) **प्रसूति अवकाश** हेतु आवेदन कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा तथा कार्यालय अध्यक्ष ही प्रसूति अवकाश को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकृत होगा। □



7. क्षतिपूर्ति अवकाश—
जब किसी लिपिक वर्गीय तथा च.श्रे.क. स्टॉफ को राजपत्रित अवकाशों के दिन अनिवार्य रूप से कार्यालय में बुलाया जाता तो उसे उतने दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत किया जायेगा जो उसी वर्ष में उपयोग किया जा सकेगा।

प्रोबेशनर ट्रेनी के संबंध में नियम—

1. 20.01.2006 के बाद राज्य सेवा में दो वर्ष के लिए प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति मिलेगी तथा फिक्स वेतन देय होगा। इस अवधि में उसे महंगाई भत्ता, विशेष वेतन, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता, ग्रामीण क्षेत्र भत्ता, मैस भत्ता, ड्रेस भत्ता व धुलाई भत्ता आदि नहीं मिलेगा। उसे इस अवधि में एडहॉक बोनस भी देय नहीं होगा।
2. उसे यात्रा भत्ता भी नहीं मिलेगा। राजकीय कार्य से यात्रा करने पर उसे T.A. on Tour मिलेगा। स्थानान्तरण पर उसे मीलभत्ता व इन्सीडेन्टल प्रभार (फिक्स वेतन के अनुसार) मिलेगा।
3. उसके पारिश्रमिक से राज्य बीमा व जी.पी. एफ. की कोई कटौती नहीं होगी।
4. उसे किसी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता भी नहीं मिलेगा।
5. एक कलैण्डर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अगर वर्ष के मध्य में नियुक्ति होती है तो पूर्ण किये गये महीनों के सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से मिलेगी।
6. प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में की गई सेवा अवधि (02 वर्ष) में 30 दिन से अधिक का असाधारण अवकाश लेने पर प्रोबेशनर काल में उतनी ही वृद्धि हो जायेगी जितने दिन का असाधारण अवकाश 30 दिन से अधिक लिया गया है। इससे कम अवधि के असाधारण अवकाश के कारण परीक्षा काल में कोई वृद्धि नहीं होगी।
7. प्रोबेशनर ट्रेनी को राजकीय आवास आवंटित हो सकते हैं।
8. प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में सेवा सन्तोषजनक न होने पर सेवा समाप्त या प्रोबेशनर अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
9. प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि नियमित नियुक्ति हेतु मानी जायेगी।
10. पुरुष प्रोबेशनर ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देय होगा तथा महिला प्रोबेशनर ट्रेनी को भी 180 दिन का प्रसूति अवकाश देय होगा।
11. शैक्षिक कार्य हेतु प्रोबेशनर ट्रेनी को विशिष्ट आ0अव0 देय होंगे।
12. प्रोबेशनर ट्रेनी को निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता मिलेगा।
13. प्रोबेशनर ट्रेनी को उच्च अध्ययन की स्वीकृति देय नहीं है।
14. प्रोबेशनर ट्रेनी को क्षतिपूर्ति अवकाश देय होंगे।

जिलाध्यक्ष
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

महिलाओं को जल्द मिल सकता है 760 दिन का अवकाश

छह माह का मातृत्व अवकाश होगा अलग से, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शुरू हुई कवायद

जयपुर ● न्यूज टुडे



मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजकीयकर्म महिलाओं को केंद्र की तर्ज पर चाइल्ड अवकाश दिए जाने के सार्वजनिक ऐलान के बाद सरकारी महकमों में इसे लेकर कवायद शुरू

हो गई है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी इस अवकाश को शामिल किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर चाइल्ड केयर लीव के तौर पर 760 दिन का अवकाश मिल सकता है। यह अवकाश छह माह के मातृत्व अवकाश से अलग होगा।

यह होगी व्यवस्था

केन्द्र सरकार कार्यालयों में तैनात महिला अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इस तरह की व्यवस्था है। महिला अधिकारी या कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव के तहत बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने तक 760 दिन का अवकाश ले सकती है। इसमें यह जरूरी है कि अवकाश 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए और यह अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा साल में दो बार ही स्वीकृत किया जा सकता है। वही 760 दिन तक विभागाध्यक्ष गुणावगुण के आधार पर अवकाश अवधि

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
NOTIFICATION**

No. F. 1(43)FD/(Gr. 2)/83

Jaipur, dated : 11-10-2008

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, 1951, namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 2008
2. These rules shall come into force with immediate effect and shall also be applicable to those women Government servants who are presently on maternity leave.
3. In the said rules -

the existing figure and word "135 days" appearing in Rule 103 shall be substituted by the figure and word "180 days."

By Order of the Governor,

(Signature)
(Banna Lal)

Officer on Special Duty

Copy forwarded to :-

1. All Addl. Chief Secretaries/All Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
2. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers/State Ministers.
3. Private Secretary to Chief Secretary
4. Accountant General Rajasthan, Jaipur
5. All Heads of the Departments.
6. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
7. All Treasury Officers.
8. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
9. All Sections of the Secretariat.
10. Vidhi Rachana Sangthan for Hindi translation.
11. Analyst-cum-programmer, Finance Department.

Copy also to :-

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committee.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur.
3. Secretary, Lokayukt, Jaipur.
4. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.

(Signature)
Officer on Special Duty

(RSR - 14/2008)

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

NOTIFICATION

No. F. 1(43)FD/(Gr. 2)/83

Jaipur, dated : December 6, 2004

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, 1951, namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 2004.
2. These rules shall come into force with immediate effect.
3. In the said rules -
 - (i) the existing Rule 103 except 'note' and 'clarification' appearing thereunder shall be substituted by the following, namely :-

"103. Maternity Leave : Maternity leave may be granted to a female Government servant with less than two surviving children upto a period of 135 days from the date of its commencement. However, if there is no surviving child even after availing it twice, Maternity Leave may be granted on one more occasion.

During such period, she will be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave. Such leave shall not be debited to the leave account but such entry should be made in the service book separately."

- (ii) after the existing Rule 103, the following new Rule 103A shall be inserted namely :-


"103A. Paternity Leave : A Male Government servant with less than two surviving children may be granted paternity leave (maximum two times) for a period of 15 days during confinement of his wife i.e. 15 days before to three months after childbirth; and if such leave is not availed of within this period, it shall be treated as lapsed.

During the period of such leave, the Government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave. Paternity Leave shall not be debited

against the leave account but such entry should be made in the service book separately and may be combined with any other kind of leave (as in the case of Maternity Leave).

Such leave shall not be allowed in case of miscarriage including abortion of the Government servant's wife."

By Order of the Governor,


(Dr. Govind Sharma)
Secretary, Finance (W&M)

मातृत्व अवकाश अब आठ माह

नईदिल्ली। सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए अनिवार्य मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी बेनिफिट) को तीन माह से बढ़ाकर आठ महीने करने को सचिवों की समिति ने मंजूरी दे दी है। इससे गर्भवती महिलाओं को एक माह की छुट्टी बच्चा जन्म लेने से पहले और सात माह का अवकाश जन्म के बाद अनिवार्य तौर पर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह अवधि के दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

से.पू.
आर.सि. 86/2011
24.11.11

राजस्थान सरकार-शिक्षण विभाग

पत्रांक : 31-10-11
दिनांक : 31-10-11

कार्यालय उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक नं. 7, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर

क्रमांक : उनि/प्रार.शि/जय/सि.वि.का.व्यगं. /2011 / 435 / 31.10.11

प्रतिनिधि
से.पू.
PS/UPS
24.11.11

जि.शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
जयपुर (सी.का.)

विषय: प्रवृत्ति अपकाश में वेतन अगलान
के लिए

विषय-वस्तु निम्न है कि अधीनस्थ कार्यलयों द्वारा प्रवृत्ति अपकाश के प्रकरणों में कार्गिक को वेतन अगलान, निरन्तर न कर अपकाश जमागत के बाद 'फिटनेस' प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जा सके है। यह प्राप्ति नियमानुसार जारी नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि

कार्यालय की ई.ई.डी. प्रणाली
क्रमांक 1669 दि. 30.10.11
नोट्स प्र.भ.
समस्त प्र.भ. खंडों
उपरोक्त निर्देशों
पर निश्चित को ध्यान
धरि जहाँ जहाँ विभागों
में सूचित करावे।

आप एवं अधीनस्थ कार्यलय प्रवृत्ति अपकाश प्रकरणों में नियमित रूप से प्राप्ति निरन्तर वेतन अगलान करन ध्यानस्थ कर किसी भी कार्गिक को वेतन अगलान में व्यवधान नहीं होने एवं कार्यप्रणाली पर 'फिटनेस' प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही वेतन देने की प्राप्ति पर बैंक के क्लिक अधीनस्थ कार्गिकों को पारदर्शक कर वेतन कार्यालय में जारी नही

प्रतिनिधि
से.पू.
प्र. शि. स.
खण्डेला

31.10.11
जयपुर संभाग

कार्यालय : जि.शिक्षा अधिकारी डा. सी. सी. सी. सी.

क्रमांक : जि.शिक्षा/प्रार.शि/सी.सी.सी. 11/1230

दिनांक 31-10

प्रतिनिधि :- सूचना, पालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपरि
1. 13.10.11 जयपुर जिला सी.का.

जिला शिक्षा अधिकारी
प्र. शिक्षा, सी.का.



61%

3:13 PM

F.1(6)-2011-15.02.2012.pdf



**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)**

NOTIFICATION

No. F. 1(6)FD/Rules/2011

Jaipur, dated : **15 FEB 2012**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor hereby notifies following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, 1951, namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 2012
2. These rules shall come into force with immediate effect.
3. In the said rules - the existing Rule 103A shall be substituted by the following, namely:-
 - 122A (i) Probationer-trainees shall earn no leave during the period of probation.
 - (ii) Female probationer-trainees shall be granted maternity leave as per rule 103 and 104
 - (iii) Male probationer-trainees shall be granted paternity leave as per rule 103A.

By Order of the Governor,

(Akhil Arora)

Secretary to the Government
Finance (Budget)

Copy forwarded to -

1. Principal Secretary to H.E. Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
15. System Analyst (Joint Director) Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

(D.K. Mittal)

Officer on Special Duty

(RSR - 04 / 2012)